

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT, HARYANA

SCO No. 68-70, Sector 17-A, Chandigarh

Tel. (0172)-2703522, Fax: (0172)-2714614

ONLINE APPLICATIONS ARE INVITED FOR

POST-MATRIC SCHOLARSHIPS FOR 2015-16

From the Students Belonging to the Minority Communities

Last Date for receipt of applications for Fresh Scholarships is 15.09.2015

* Last Date for receipt of applications for Renewal of Scholarship is 10.10.2015

Online applications are invited in the prescribed format from the students belonging to the Minority Communities, namely, Muslims, Sikhs, Christians, Buddhists, Zoroastrians (Parsis) & Jains notified by the Central Government pursuing Higher Education from Class XI to Ph.D., including technical/vocational courses of Industrial Centers (affiliated with NCVT) in Govt./Recognized Schools/Institutes for Post-Matric Scholarships for the year 2015-16 as per the eligibility criteria and conditions prescribed by the Ministry of Minority Affairs, Govt. of India.

Conditions for Scholarship:

- Students should be resident of Haryana State.
- Scholarship will be awarded to the students who have secured not less than 50% marks or equivalent grade in the previous final examination and the annual income of whose parent/ guardian (Father and Mother both) from all sources does not exceed Rs. 2.00 lakh.
- Income Certificate and Minority Community Certificate should be issued by 1st Class Magistrate (SDM/Tehsildar) without which the application will be rejected. The Income certificate would be valid for one year.
- Aadhar Card Number is required to apply online.
- Financial assistant will be given to pursue technical and vocational courses in Industrial Training Institutes/ Industrial Training Centers affiliated with the National Council for Vocational Training (NCVT) of classes XI and XII level. Course Fee and Maintenance Allowance will be credited directly into the bank accounts of selected students.
- Continuation of the scholarship in subsequent years will depend on successful completion of the course during the preceding year.
- Scholarship-holder under this scheme will not be able to avail any other scholarship/stipend for pursuing the course.
- Students should fill their own Bank Account Number, Pan Card Number, to applying online application & their Bank Account Number should be Aadhar-enabled.
- 30% of the scholarships are reserved for girl students.
- Scholarships will not be given to more than two students in a family.

Rate of Scholarship

Sr. No.	Item	Hostellers	Day Scholars
1.	Admission and Tuition fee from Class XI and XII	Actual subject to a maximum ceiling of Rs. 7,000/- per annum	Actual subject to a maximum ceiling of Rs. 7,000/- per annum
2.	Admission and course/tuition fee for Technical and Vocational Courses of class XI and XII level (includes fee/charges for raw materials etc.)	Actual subject to a maximum ceiling of Rs. 10,000/- per annum	Actual subject to a maximum ceiling of Rs. 10,000/- per annum
3.	Admission and Tuition fee for Under-graduate, Postgraduate.	Actual subject to a maximum ceiling of Rs. 3,000/- per annum	Actual subject to a maximum ceiling of Rs. 3,000/- per annum
4.	Maintenance allowance for 10 months only in an academic year (Includes expenses for study material, etc.).		
	i) For Classes XI and XII including technical and vocational courses of this level.	Rs. 380/- per month	Rs. 230/- per month
	ii) Courses other than technical and professional courses at under-graduate and postgraduate level.	Rs. 570/- per month	Rs. 300/- per month
	iii) M.Phil. and Ph.D. (For those researchers who are not awarded any fellowship by University or any other authority).	Rs. 1,200/- per month	Rs. 550/- per month

Time Line (For Fresh & Renewal Scholarships)

Sr. No.	Activities	Date (Fresh)	Date (Renewal)
1.	Submission of online applications for Fresh/Renewal scholarships by students	01st June to 15th September, 2015	1st June to 10th October 2015
2.	Scrutiny of online application by Institutes.	01st June to 5th October, 2015	1st June to 31st October 2015
3.	Scrutiny of online applications by State.	01st July to 15th October, 2015	1st July to 8th Nov. 2015

HOW TO APPLY:

- Eligible students can apply online on the website www.scholarships.gov.in Students will forward their applications online to the institutions and also take a print-out. This print-out along with all requisite documents (as prescribed in the print-out) will be submitted to the concerned institutions. Students will get a temporary ID, which they will retain/ keep with them for any further correspondence etc.
- Uploading is mandatory for Renewal cases while for Fresh cases hardcopy of document will be submitted by the students to the respective institutes. Scrutiny of the online applications in case of Renewal cases may be done on the basis of uploaded documents while in case of Fresh case scrutiny may be done on the basis of submitted hardcopies.
- The institution will scrutinize and forward all these applications online by login on the same website with User IDs and Passwords (provided to them earlier by Department) by 5th October, 2015 for fresh and 31st October, 2015 for renewal applications.

Note:

- Students/Institutes are advised to read the "FAQ's and Information for Institutes" available on the home-page of the website carefully before filling online applications and scrutiny by the institutes.
- No off-line applications will be entertained.
- Eligible candidates under this scheme will send their uploaded applications along with the requisite documents by post or by hand at Director-General, Social Justice & Empowerment Department Haryana, SCO No.68-70, Sector 17-A, Chandigarh — 160 017.

For more details visit www.minorityaffairs.gov.in & www.scholarships.gov.inA.K. Yadav,
Director General

सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग, हरियाणा

एससीओ सं. 68-70, सैक्टर 17ए, चंडीगढ़

टेलीफोन (0172)-2703522, फैक्स: (0172)-2714614

अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों से 2015-16 हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आनलाईन आवेदन आमंत्रित हैं।

नई छात्रवृत्ति हेतु आवेदनों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि 15.9.2015 है एवं छात्रवृत्ति के नवीकरण हेतु आवेदनों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि 10.10.2015 है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत अल्पसंख्यक समुदाय नामत मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, पारसियों एवं जैनियों से संबंधित छात्रों जो सरकारी/ मान्यता प्राप्त स्कूलों / संस्थानों में औद्योगिक केन्द्रों (एनसीवीटी के साथ संबद्ध) के तकनीकी / व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के साथ कक्षा 11 से पीएच.डी तक उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता मानदंड एवं नियमों के अनुसार वर्ष 2015-16 हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आनलाईन आवेदन आमंत्रित हैं।

छात्रवृत्ति हेतु शर्तें :-

1. छात्र हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
2. छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में 50% से कम या समानांतर ग्रेड प्राप्त न किया हो और उनके माता-पिता/अभिभावक (माता और पिता दोनों) की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रूपय से अधिक न हो।
3. आय प्रमाण पत्र एवं अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र पहले वर्ग मैट्रिकोत्तर (एससीएम / तहसीलदार) द्वारा जारी किया जाएगा, जिसके बिना आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। आय प्रमाण पत्र एक वर्ष हेतु वैध होना चाहिए।
4. आधार कार्ड नंबर आनलाईन आवेदन हेतु आवश्यक है।
5. वित्तीय सहायता कक्षा 11 एवं 12 स्तर के नेशनल काउंसिल ऑन वोकेशन ट्रेनिंग (एनसीवीटी) के साथ संबद्ध औद्योगिक ट्रेनिंग संस्थानों / औद्योगिक ट्रेनिंग केन्द्रों में तकनीकी एवं वोकेशनल पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए दी जाएगी। पाठ्यक्रम शुल्क एवं अनुरक्षण मत्ता चयनित छात्रों के बैंक खाते में सीधे जमा किया जाएगा।
6. आगामी वर्षों में छात्रवृत्ति को जारी रखना, पिछले वर्ष के दौरान पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने पर निर्भर करेगा।
7. इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति धारक कोर्स के दौरान किसी अन्य छात्रवृत्ति/ वजीफा का लाभ लेने के योग्य नहीं होंगे।
8. छात्र आनलाईन आवेदन करते हुए अपना स्वयं / माता-पिता / अभिभावक का बैंक खात नंबर, पैन कार्ड, कार्ड नंबर भेजने एवं उनका बैंक खात नंबर आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।
9. 30% छात्रवृत्तियां छात्रों के लिए निर्धारित की जाएंगी।
10. छात्रवृत्ति एक परिवार में दो से अधिक छात्रों को नहीं दी जाएगी।

छात्रवृत्ति की दर

क्र. सं.	विवरण	दर	टिप्पणी
1	कक्षा 11 और 12 के लिए दाखिला एवं शिक्षण शुल्क	वार्षिक, अधिकतम 7,000/- रूपय प्रतिवर्ष	वार्षिक, अधिकतम 7,000/- रूपय प्रतिवर्ष
2	कक्षा 11 और 12 के स्तर के तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए दाखिला एवं पाठ्यक्रम/ शिक्षण शुल्क (कच्चे माल आदि के लिए लिया गया शुल्क/ प्रभार सहित)	वार्षिक, अधिकतम 10,000/- रूपय प्रतिवर्ष	वार्षिक, अधिकतम 10,000/- रूपय प्रतिवर्ष
3	अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दाखिला तथा शिक्षण शुल्क	वार्षिक, अधिकतम 3,000/- रूपय प्रतिवर्ष	वार्षिक, अधिकतम 3,000/- रूपय प्रतिवर्ष
4	एक शैक्षणिक वर्ष में केवल 10 माह के लिए अनुरक्षण मत्ता (अध्ययन सामग्री आदि के लिए खर्च शामिल है)		
	क) कक्षा 11 और 12. इस स्तर के तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों सहित	380/- प्रतिमाह	230/- प्रतिमाह
	ख) स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रम।	570/- प्रतिमाह	300/- प्रतिमाह
	ग) एम.फिल एवं पीएच.डी (यह उन शोधकर्ताओं के लिए है जिन्हें विश्वविद्यालय या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई फेलोशिप प्रदान नहीं की जाती है।)	1200/- प्रतिमाह	550/- प्रतिमाह

टाईम लाईन (नई एवं नवीकरण छात्रवृत्ति हेतु)

क्र. सं.	गतिविधियां	तिथि (नए)	तिथि (नवीकरण)
1	छात्रों द्वारा नई/नवीकरण हेतु आनलाईन आवेदनों को जमा करना	1 जून से 15 सितंबर 2015	1 जून से 10 अक्टूबर 2015 तक
2	संस्थानों द्वारा आनलाईन आवेदनों की जांच	1 जून से 5 अक्टूबर 2015	1 जून से 31 अक्टूबर 2015
3	राज्य द्वारा आनलाईन आवेदनों की जांच	1 जुलाई से 15 अक्टूबर 2015	1 जुलाई से 8 नवंबर 2015

आवेदन कैसे करें :-

1. योग्य छात्र वेबसाइट www.scholarships.gov.in पर आनलाईन आवेदन करें। छात्र संस्थानों को आनलाईन अपने आवेदन फॉर्मर्ड करेगे एवं फॉर्म आउट भी लेंगे। सभी आवश्यक दस्तावेजों (फॉर्म आउट में निर्धारित अनुसार) सहित यह फॉर्म आउट संबंधित संस्थान में जमा किए जाएंगे। छात्र अस्थायी आईडी प्राप्त करेंगे, जिसे वह किसी अन्य गतिविधि इत्यादि के लिए अपने साथ रखेगा/रखेंगी।
2. नवीकरण मामलों के लिए अपलोडिंग आवश्यक है, जबकि नए मामलों हेतु दस्तावेज की हार्ड प्रति संबंधित संस्थान को छात्रों द्वारा जमा की जाएगी। नवीकरण आवेदनों के विषय में आनलाईन आवेदन की जांच अपलोड दस्तावेज के आधार पर की जाएगी जबकि नए आवेदन के विषय में जांच जमा की गई हार्ड प्रति के आधार पर की जाएगी।
3. संस्थान नए आवेदनों हेतु 5 अक्टूबर 2015 एवं नवीकरण आवेदनों हेतु 31 अक्टूबर 2015 द्वारा यूजर आईडी एवं पासवर्ड (विनाम दस्तावेजों के साथ) प्राप्त किया गया है। सहित इस वेबसाइट पर लॉगइन द्वारा ये सभी आवेदन आनलाईन फॉर्मर्ड एवं जांच करेंगे।

नोट :-

क) छात्रों / संस्थानों को सलाह दी जाती है कि आनलाईन आवेदन करने एवं संस्थानों द्वारा जांच से पहले अच्छी तरह से वेबसाइट के होम-पेज पर उपलब्ध "एक्सप्लेनरी एवं संस्थानों हेतु सूचना" पढ़ लें।

ख) कोई ऑन-लाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ग) इस योजना के अधीन योग्य छात्र महानिदेशक, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग हरियाणा, एससीओ सं. 68-70, सैक्टर 17ए, चंडीगढ़ 160017 पर एक या दोस्त द्वारा आवश्यक दस्तावेजों सहित अपने उपलब्ध आवेदन करेंगे।

अधिक विवरण हेतु www.minorityaffairs.gov.in एवं www.scholarships.gov.in पर जाएं।